



1715

04DD 400810

465
VIKAS MEDICOS
BUY DEED # LA

बयनामा

बयनामा	3,45,000 / -रु०
मालियत	5,75,000 / -रु०
स्टाम्प	58,000 / -रु०

हम कि राजेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी सिविल लाईन मुरादाबाद बहेसियत मुख्तारआम दिलीप कुमार रस्तीगी पुत्र श्री वी० के० रस्तीगी निवासी रामगंगा विहार मुरादाबाद मुख्तारनामा आम पंजीकृत दिनांक 25.04.1997 बही नं० 4 जिल्द 48 के पृष्ठ 29/32 कर्मांक 272 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय मुरादाबाद व बहेसियत मुख्तारआम प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी दीन दयाल नगर मुरादाबाद मुख्तारनामा दिनांक 25.04.1997 बही नं० 4 जिल्द 48 के पृष्ठ 33/36 कर्मांक 273 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय मुरादाबाद प्रथम

राजेश कुमार

M. V. J. P. O.



पक्ष (विक्रेता) एवं विकास मेडिकोज प्रा० लि० पंडित नगला बाई पास
समल रोड मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद उमर फारुख पुत्र श्री
मौहम्मद राशिद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं० 140 खसरा सं० 460/2
नि० रकबई 0.101 हेक्टे० व खसरा सं० 461/2 नि० रकबई 0.243 हेक्टे०
व खसरा सं० 464/2 नि० रकबई 0.081 हेक्टे० व खसरा सं० 465/2
नि० रकबई 0.040 हेक्टे० कुल 4 किते कुल रकबई 0.465 हेक्टे० लगानी
सालाना 11.50 रु० किस्म जमीन खादर सर्किल नं० 4 बाकै ग्राम हरथला
एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत
भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है तथा प्रथम पक्ष (विक्रेता) को
आराजी मजकूर की बावत हर अख्तयारात मय इन्तकालात हासिल है।
जो इस समय तक प्रत्येक प्रकार से पूर्णरूपेण स्वच्छ व विवाद रहित है।

रजिस्ट्रार मु० 112

11/07/2017



3

इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज सरकारी या गैर सरकारी आदि नहीं है। यह भूमि प्रत्येक प्रकार के रहन, बय, हिवा किफालत, जमानत कुर्की नीलामी आदि से पूर्णतया मुक्त है। आराजी बक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त है। इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अग्रगाने इन्तकाल हाजा नहीं है इसकी पूर्ण संतुष्टि द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दी गयी है। चूंकि इस सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरुस्ती होश हवास खमरा बिना बहकाये व सिखाये बिना दबाव नजायज किसी के खूब सोच समझकर तमामी शाय मुबईया मजकूर हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरपत व मय दीगर कुल हक व हकूफ मुताल्लिका उसको बिना छोड़े किसी जुज व हक बिल

राजेश कुमार

M. S. S. S.

आप दिवस ----- को पूरा किए हंगे

सौ. ४०-७६५०० का की

61. $\frac{1}{2}$

199001

आहार सार

सुखं रोहिण्या
कोशाभाह, भुराधाभाह

ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ - ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

7/4/2005

21-01-2022

1000

"
 ગુણવત્તા, સારી કાલેજ, ના
 ટીચર અને સ્ટુડન્ટ બંનેની જવાબદારી
 છે.
 રામકૃષ્ણ મિશન



A-2005

10381

ऐवज मुबलिग 3,45,000/-रुपये तीन लाख पैंतालीस हजार रू० आधे
जिराके 1,72,500/-रुपये एक लाख बहत्तर हजार पॉच सौ रूपये होते
है द्वितीय पक्ष क्रेता (विकास मेडिकोज प्रा० लि० पंडित नगला बाई पास
समाल रोड मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद उमर फारुख पुत्र श्री
मौहम्मद राशिद) को बय और फरोख्त कागिल करके कुल जरे समन
उसका तपसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय
मुवइया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया
है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व
वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी नहीं
रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल
होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज
कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी

राजेश कुमार

Mio Jpoy

1944-1945
1946-1947



4 APR 2005

A-2005

10382

फैल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखवाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या वगैरज सहपकुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किसम अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की समागी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि यह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को

10/04/05

M. J. P. O.



4 APR 2005

आज दिनांक को एक पिता स्वाम

कोता १०० को विक्री के लिए निकाला जा रहा है।

को करीब १०० के

स्वाम में निम्नलिखित आसता आसता को १०० आसता १००

आसता को १०० के लिए

कोता १००
कोता १००





2-4/11/2005

6

A.2005

10383

कोई उज्र व एतराज नहीं होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र नाथुर ५५१०केट ने सत्यापित किये हैं।

नोट-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "ग" के अनुसार 4,00,000/-रु० प्रति एकड़ निर्धारित है तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है भौके पर तथा आरापास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नहीं हैं। मुख्तारनामा आम निरस्त नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामा आम कर्तागण जीवित है।

रामेश्वर

M. J. 2005

4 APR 2005

मान्य विभाग----- की एक किताब बहाल

आवक नं-1000

की दर-1000

स्थान-विभाग

अधीन-विभाग

विभाग में प्रेषित प्रतीति-माला करिमा समान प्रतीति प्रेषित
के सम्बन्ध में उक्त प्रमाण पत्र प्रेषित

विभाग
कीचारा, बुलगाव



तपसील वसूली जरे समन मुबलिंग 3,45,000/- रू० नगद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)

रजिस्ट्री



साक्षी

द्वितीय पक्ष (क्रेता)

Mishra



साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 7-4-2005 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान वमशबरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया

स्वामीजी महाराज मुरलीधर
 मुरलीधर/५५ मुरलीधर ३६ पू. ४०. ५५
 मुरलीधर/५५ मुरलीधर ३६ पू. ४०. ५५
 मुरलीधर/५५ मुरलीधर ३६ पू. ४०. ५५
 मुरलीधर/५५ मुरलीधर ३६ पू. ४०. ५५

वही १ किद ज्ञात के पृष्ठ ५५५ में
 मुरलीधर १५५ या मुरलीधर १५५ से
 रजिस्ट्री की गई।
 मुरलीधर १५५
 मुरलीधर १५५



पदा 1 किद धर्मा ५०५/३१५
 जयोर १७१८
 राजपुत्र
 ह दिनीय
 लवाद